6736(ए)
28/8/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–28/8/19..... को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under package on. 66/OPRMC/New Capital, Patna के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही । उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
(iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1154 (अनु०) दिनांक 17.05.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under package on. 66/OPRMC/New Capital, Patna
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01 MBD
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹3647.87129 लाख।
2.4	संवेदक का नाम	:	Amhara Construction Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	20.02.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	19.02.2019
2.7	वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि	:	31.05.2019
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.05.2019

28/8

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

OPRMC Phase-I का कार्यकाल दिनांक–07.12.2018 को ही समाप्त हो चुका है किन्तु OPRMC Phase-II की निविदा का निष्पादन नहीं हो सका है। नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के सभी पथ पटना शहरी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जिनमें उच्च स्तरीय निर्णय/निर्देश/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन, राजनीतिक पार्टियों की रेली आदि के आलोक में नियमित रूप से आकस्मिक मद के कार्य निदेशानुसार कराये जाते हैं। इस मद में OPRMC Phase-I के तहत् आकस्मिक कार्य निम्नलिखित स्थितियों में कराये गये हैं :–

(i) दिनांक–26.03.2019 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षतमा में अतिक्रमण हटाने, शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा प्रदूषण निरोधक कार्रवाई के संबंध में की गई बैठक में प्राप्त निदेश के अनुपालन में।

(ii) विभागीय पत्रांक–3158(ई0) दिनांक–22.04.2019 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0–7519/2017 में पारित आदेश के क्रम में सचिव, परिवहन विभाग के पत्रांक–2476, दिनांक–05.04.2019 के द्वारा चिन्हित किये गये कार्यों के कार्यान्वयन के क्रम में।

(iii) आयुक्त, पटना प्रमंडल की अध्यक्षता में दिनांक–29.03.2019 को पटना शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु की गई बैठक की निर्गत कार्यवाही के अनुपालन हेतु।

(iv) आयुक्त, पटना प्रमंडल के अध्यक्षता में दिनांक–06.04.2019 को पटना शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु की गई बैठक की निर्गत कार्यवाही के अनुपालन हेतु।

(v) शहरी क्षेत्रों Utility Service बहाल करने के क्रम में प्रायः कार्यकारी एजेन्सी द्वारा, यथा नगर निगम, बी0एस0एन0एल0 विद्युत विभाग, नगर विकास विभाग आदि द्वारा पथों को काटकर छोड़ दिया जाता है, जिनकी आपात मरम्मती की आवश्यकता पड़ती है।

उपरोक्त के अलावे अन्यान्य परिस्थितियों के चलते पथ को तुरंत Restore अथवा Renovate करना पड़ता है। उपरोक्त वर्णित सभी कार्य Emergency Nature के हैं, जिन्हें तुरंत कराये जाने की आवश्यकता रहती है। Emergency Nature के उपरोक्त कार्यों को शीघ्र कराने हेतु OPRMC के संवेदक को ही निदेशित किया जाता रहा है। निविदा आमंत्रित कर आपात प्रकृति के कर्यों को कराने में काफी विलम्ब होगा।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.05.2019 तक समयवृद्धि की इस शर्त्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1154(अनु०) दिनांक 17.05.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत **Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under package on. 66/OPRMC/New Capital, Patna** (एकरारनामा सं0-01 **MBD**) हेतु दिनांक-31.05.2019 तक समयवृद्धि निम्नलिखित शर्त्तों के साथ दी जाती है :-

(i) विस्तारित अवधि में संवेदक को **OM** एवं अन्य कोई वित्तीय दावा यथा **Price Escalation** का लाभ मान्य नहीं होगा।

(ii) विस्तारित अवधि में **Price Index** एकरारनामा के अनुसार घटने की स्थिति में **Price Neutralization** हेतु **Price Index/Rate** लागू रहेगा।

(iii) विस्तारित अवधि में मुख्य अभियंता, दक्षिण के पत्रांक-1959अनु0 दिनांक-26.08.2019 में वर्णित कार्य कराये गये कार्यों की सीमा तक के लिए विधि मान्य प्रावधानों के अनुरूप भुगतान की कार्रवाई करावें।

(iv) इस अवधि में कराये गये कार्यों का भुगतान अनिवार्यतः अधीक्षण अभियंता के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

28/8/19	28.8.19	28-8-19	28/8/19
(अजीत कुमार) मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) अपर सचिव-सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(भवानी नंदन) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-03-95/2019 6736(S) पटना, दिनांक 28/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28-8-19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।